राजस्थान सरकार
ऊर्जा विभाग

क्रमांक : प. 1(1)ऊर्जा/06 जयपुर, दिनांक अगस्त 10, 2006

आज्ञा

गत वर्षो में जनजाति क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे वाले परिवारों को कुटीर ज्योति योजनान्तर्गत विद्युत कनेक्शन दिये गये थे। इन कनेक्शनों में से अधिकांशतः भुगतान नहीं किए जाने के फलस्वरूप काट दिये गये है। ऐसे कटे हुए कनेक्शनों को पुनः जोड़ने हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैः–

1. छः माह से अधिक अवधि के कटे हुए कनेक्शनों को पुनः जोड़ने हेतु वर्तमान में ली जाने वाली 1700/– रूपये की राशि के स्थान पर इन कनेक्शनों को जोड़ने हेतु मात्र 100/– रूपये की राशि वसूल की जावेगी।
2. ऐसे उपभोक्ताओं से संबन्ध विच्छेद की दिनांक के बाद भुगतान की देरी पर देय ब्याज की राशि की वसूली नहीं की जावेगी व विद्युत विच्छेद की दिनांक से पहले के भुगतान के डिलेड पेमेन्ट सरचार्ज (डी.पी.एस.) की राशि का 50 प्रतिशत माफ कर दिया जायेगा।
3. उपरोक्त तरीके से दुबारा गणना कर बकाया निकाली गई राशि की 10 प्रतिशत राशि प्रथम किश्त के रूप में जमा करा देने पर विद्युत कनेक्शन पुनः जोड दिये जायेगें व शेष बकाया राशि 35 मासिक किश्तों में वसूल की जावेगी।

उक्त निर्णय तुरन्त प्रभाव से लागू होगें।

आज्ञा से

-Sd.-
(यदुवेन्द्र माथुर)
शासन सचिव, ऊर्जा

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्र./प्र.नि./जोधपुर/अ.अ./अनु. (आरए–वाणिज्य)/प्रे.स. 1343 दिनांक 01.09.2006

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

- ऊर्जा सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- आयुक्त, जोधपुर/बीकानेर।
- मुख्य अभियन्ता (एम.एम./जोधपुर जोन), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- जिला कलेक्टर, जोधपुर/पाली/बाड़मेर/जालोर/चूरू/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़/बीकानेर/सिरोही /जैसलमेर।
- वित्तिय सलाहकार एवं लेखा नियन्त्रक, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (बीकानेर जोन), जोधपुर डिस्कॉम, बीकानेर।
- मुख्य लेखाधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर को राज्य सरकार से पुर्नभरण प्राप्त करने हेतु।
- प्रावे. सहा. अध्यक्ष, डिस्कॉम, विद्युत भवन, जनपथ, जयपुर को माननीय अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ हेतु।
- प्रावे. सहा. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर/अजमेर/जयपुर डिस्कॉम, जोधपुर/अजमेर/जयपुर को प्रबन्ध निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ।
- अधीक्षण अभियन्ता (नगर/जिला/पवस/टर्न–की/पीपीएम/एम.एण्ड पी/बी.एफ.एल.) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/जालोर/बाड़मेर/चूरू/बीकानेर/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़/जैसलमेर।
- निजी सचिव, माननीय ऊर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर को माननीय ऊर्जा मंत्री के अवलोकनार्थ।
- ओ.एस.डी. सलाहकार (एम), राजस्थान सरकार, जयपुर।
- सहायक अधिकारी, Ombudsman-Commissioner, Collectorate, जोधपुर।
- अति. पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर (आपके अधिकारियों को भेजने हेतु अतिरिक्त प्रतिया संलग्न।
- वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (नगर/जिला/पवस/एम.एम.अंकेक्षण/वाणिज्य/सीपीसी एंव रोकड़) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/जालोर/बाड़मेर,/चूरू/बीकानेर/श्रीगंगानगर/ हनुमानगढ़।
- कम्पनी सचिव, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- अधिशाषी अभियन्ता ( ), जोधपुर डिस्कॉम
- जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- सहायक अभियन्ता ( ), जोधपुर डिस्कॉम (आप के अधीनस्थ कार्यरत समस्त कनिष्ठ अभियन्ताओं एवम् सहायक राजस्व अधिकारी की अतिरिक्त प्रतियां संलग्न है)।
- माननीय श्री . . . . (सांसद/विधायक/जिला प्रमुख) . . . .।

(एन.एम. सिंघवी)
अधीक्षण अभियन्ता (आरए एण्ड सी)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर